

प्रपत्र-4 "क"

(प्री-करगिल (1.4.99 से पूर्व) एवं पोस्ट-करगिल (1.4.99 के पश्चात्) युद्धों तथा अन्य विभिन्न इन्सरेन्सीज काउंटर्स में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों हेतु छात्रवृत्ति आवेदन पत्र)

1. शहीद /स्थायी विकलांग सैनिक का नाम
2. शहीद /स्थायी विकलांग होने की तारीख
3. रैंक/यूनिट नम्बर
4. शहीद /स्थायी विकलांग होने का प्रमाण पत्र संलग्न करे।
5. उत्तराधिकारी (फौज के अभिलेख अनुसार) प्रतिलिपि संलग्न करें। उत्तराधिकारी के निवास स्थान का पूर्ण पता भी लिखा जावे।
6. शिक्षार्थी का नाम व शहीद के साथ संबंध (आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे)
7. कक्षा जिसमें अध्ययनरत है
8. विद्यालय का नाम व पूर्ण पता

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

प्रति हस्ताक्षर
(जिला सैनिक कल्याण अधिकारी)

हस्ताक्षर विद्यार्थी

हस्ताक्षर अभिभावक

भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत छात्रा के रूप में प्रतिभावान पुत्रियों को देय
छात्रवृत्ति योजना
(सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र - ख)

क्रमांक :

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पद.....

संख्या.....भूतपूर्व सैनिक तथा इनकी पुत्री नाम.....

कक्षा..... में अध्ययनरत है राजस्थान स्थित ग्राम.....तहसील.....

जिला..... के मूल निवासी है।

दिनांक :

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान सरकार
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन पत्र प्रारूप
वर्ष 2021-22

विद्यार्थी का
स्वप्रमाणित
फोटो

विद्यार्थी की छात्रवृत्ति यूनीक आई.डी.....
(पूर्ति संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल से की जावेगी)

विद्यालय का नाम		:				
छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है		:				
विद्यार्थी का विवरण							
1	विद्यार्थी का नाम	:				
2	जन्म तिथि	:	DD	MM	YYYY		
3	धर्म (हिन्दु/मुस्लिम/सिख/ईसाई/पारसी/बौद्ध/जैन/अन्य)	:				
4	लिंग(पुरुष/महिला/ट्रांसजेण्डर)	:				
5	कक्षा जिसमें अध्ययनरत है	:				
6	विद्यार्थी का S.R.नम्बर (विद्यालय द्वारा भरा जावे)	:				
7	गत वर्ष की कक्षा का कमोन्नत प्रमाण पत्र	:	कक्षा	पूर्णांक	प्राप्तांक	ग्रेड/ प्रतिशत	कक्षा कमोन्नत
8	जाति वर्ग (अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/सामान्य/अल्पसंख्यक)	:				
9	डे-स्कॉलर/हॉस्टलर	:				
10	विद्यार्थी का आधार नम्बर/एनरोलमेंट नम्बर	:				
11	जन-आधार/एक्नोलेजमेन्ट नम्बर	:				
12	छात्र का बैंक खाता जन-आधार कार्ड से लिंक है (हां/नहीं)	:				
13	विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर	:				
14	विद्यार्थी का ई-मेल आई.डी.	:				
विद्यार्थी के परिवार का विवरण							
15	पिता का नाम	:				
16	माता का नाम	:				
17	संरक्षक का नाम (माता-पिता के जीवित ना होने पर)	:				
18	परिवार की वार्षिक आय	:				
19	स्थाई पता/जिले का नाम/राज्य का नाम	:				
20	राशन कार्ड नम्बर	:				
21	क्या विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता प्राप्त कर रहा है (हां/नहीं) यदि हां तो विवरण दें	:				
22	केवल अस्वच्छकार योजनान्तर्गत अग्रलिखित प्रमाण-पत्र का उल्लेख करें जैसे:- (1) हाथ से मैला ढोने का, (2) टेनर और फ्लेयर्स (चर्म एवं चर्मशोध से संबंधित) (3) कचरा बीनने का, (4) जोखिम के कार्यों में लगे होने का	:				

क्र.सं.	योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संलग्न कर <input checked="" type="checkbox"/> करें
1	माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा-पत्र	
2	छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका/कमोन्नत प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।	
3	विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)।	
4	विद्यार्थी की आधार कार्ड तथा जन-आधार/भामाशाह कार्ड (स्वप्रमाणित प्रति)।	
5	माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लिप्त होने का प्रमाण-पत्र	
6	माता-पिता के प्री-करगिल एवं पोस्ट-करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिक होने का प्रमाणपत्र	
7	भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाणपत्र (डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र एवं परिचय पत्र अथवा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र)।	

नोट :- वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए सामने के कॉलम में का निशान अंकित करें।

हस्ताक्षर विद्यार्थी

माता-पिता/संरक्षक द्वारा घोषणा

मैं (माता-पिता/संरक्षक) घोषणा करता हूँ/करती हूँ की मैंने योजना संबंधी सभी नियमों/निर्देशों की भली भांति अध्ययन कर लिया है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज में अंकित आधार नम्बर, जन-आधार कार्ड, सही है एवं छात्र/छात्रा किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। विद्यार्थी का बैंक खाता उसके आधार से सीडेड तथा जन-आधार कार्ड से लिंक है। मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विवरण, संलग्न दस्तावेज, इस घोषणा में अंकित सूचनाएं गलत पाये जाने की स्थिति में यदि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इसका समस्त दायित्व मेरा स्वयं का होगा। भविष्य में किसी भी प्रकार की जांच प्रक्रिया में मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं अथवा दस्तावेज गलत पाए जाने की स्थिति में मेरे विरुद्ध पुलिस/वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी तथा मैं प्राप्त छात्रवृत्ति वापिस जमा करवाने का वचन देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक : हस्ताक्षर जांचकर्ता/कक्षाध्यापक माता-पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा.....पुत्र/पुत्री..... के छात्रवृत्ति आवेदन की जांच कर ली गई है आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित संलग्नक लगे हुए हैं। छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत आधार नम्बर, जन-आधार कार्ड एवं आय घोषणा पत्र आदि को शालादर्पण पोर्टल पर अपडेट कर लिया गया है। अतः छात्र/छात्रा को सत्र 2021-22 की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर

आय का घोषणा पत्र

(विद्यार्थी के पिता/माता/संरक्षक द्वारा भरा जावेगा)

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2021-22 के लिए

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी उम्र.....

वर्ग(कैटेगरी).....निवासी

.....घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी समस्त स्रोतों
से कुल वार्षिक आय.....रूपये है।

आय संबंधी उक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। मुझे इस तथ्य की
जानकारी है कि मेरे द्वारा उद्घोषित आय गलत अथवा मिथ्या होना भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत
दण्डनीय अपराध है।

विद्यार्थी का नाम

विद्यार्थी की कक्षा

विद्यार्थी से घोषणाकर्ता का संबंध

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता